

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR.

T.S-196/09

SHTRUDHAN RAI PLAINTIFF

Vs.

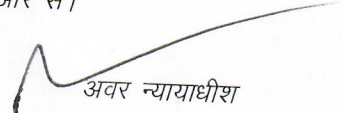
MOST. SIYA DEVI & OTHERS DEFENDANTS

28.08.20 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के आवेदन दिनांक-12.06.20, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-01 मो० सिया देवी की मृत्यु दिसंबर माह 2019 में हो गयी है, जिसके सभी वारिसान पूर्व से इस वाद में पक्षकार है। अतः मृत प्रतिवादी सं०-01 का नाम वादपत्र से कलमजद करने की प्रार्थना की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है एवं विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा-05 लिमिटेशन एक्ट, दाखिल किया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तदनुसार मृत प्रतिवादी सं०-01 का नाम वादपत्र से विलोपित करे।

दिनांक- 18.09.2020 वास्ते साक्ष्य वादी की ओर से।


अवर न्यायाधीश